

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांक : प.14(13)सानि./2005

जयपुर, दिनांक : 08 AUG 2012

आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 08.12.05 के क्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, रेस्ट हाऊस एवं इन्स्पेक्शन बंगलों की आवास दरें एवं शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार संशोधित की जाती है। ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

यह आज्ञा वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति से उनके आई.डी. संख्या 101200904 दिनांक 26.07.12 के अनुसरण में जारी की जाती है।

EE(B-3)

Pl. send copy to all
SE's & EE's

See IV

13/8/12

आज्ञा से

(कानचन्द बुनकर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 3. निजी/विशिष्ट सहायक, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
 4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
 5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
 6. समस्त विभागाध्यक्ष।
 7. समस्त जिला कलक्टर।
 8. मुख्य अभियंता(समस्त), सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
 9. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. संभाग।
- प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है:-
1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
 2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
 3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
 4. पंजीयक राजस्व मंडल, अजमेर।

कार्यालय
निर्माण विभाग

1706
14/8/12

(कानचन्द बुनकर)
शासन उप सचिव

मुख्य सचिव
दिनांक 13/8/12

NO:- DB-4(U)कारक्षण/अनु.ए-डी'-1209
14/8/12

Copy forwarded to the following.

1. S.E. PWD Circle --- (AU)
2. EE PWD Bn. --- (AE)

13.8.12
EE(B-3)

2

सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगलों, रेस्ट हाउस / इन्सपेक्शन बंगलों में रहने की दैनिक दरें (रुपयों में) परिशिष्ट-ए

क्र.सं.	वर्गीकरण	अधिकृत व्यक्तियों के लिये निर्धारित अवधि तक		भारत सरकार व अन्य राज्यों के अधिकारियों के लिये		अधिकृत व्यक्तियों के अवकाश / स्थानांतरण पर (केवल राजस्थान)		सेवा निवृत्त अधिकारी / पूर्व मंत्री / राज्य मंत्री / उप मंत्री / विधायक / सांसद		प्राइवेट व्यक्तियों के लिये	
		वर्तमान दरें	नई दरें	वर्तमान दरें	नई दरें	वर्तमान दरें	नई दरें	वर्तमान दरें	नई दरें		
(क) डाक बंगला, जयपुर एवं माऊट आबू											
1	एक व्यक्ति (सिंगल बेड कमरा)	20.00	60.00	100.00	300.00	30.00	90.00	80.00	160.00	300.00	450.00
2	एक व्यक्ति (डबल बेड कमरा)	20.00	60.00	100.00	300.00	40.00	120.00	80.00	160.00	400.00	600.00
3	दो व्यक्ति (डबल बेड कमरा)	40.00	120.00	150.00	450.00	60.00	180.00	160.00	320.00	600.00	900.00
4	अतिरिक्त बेड	10.00	30.00	40.00	120.00	15.00	45.00	40.00	80.00	100.00	150.00
(ख) डाक बंगला, नग्धवास											
1	एक व्यक्ति (सिंगल बेड कमरा)	20.00	60.00	80.00	240.00	25.00	75.00	70.00	140.00	225.00	338.00
2	एक व्यक्ति (डबल बेड कमरा)	30.00	90.00	100.00	300.00	30.00	90.00	90.00	180.00	300.00	450.00
3	दो व्यक्ति (डबल बेड कमरा)	30.00	90.00	150.00	450.00	50.00	150.00	140.00	280.00	350.00	525.00
4	अतिरिक्त बेड	10.00	30.00	30.00	90.00	15.00	45.00	20.00	40.00	60.00	90.00
(ग) डाक बंगले समूह जिला मुख्यालय (प.सि.डी.)											
1	एक व्यक्ति (सिंगल बेड कमरा)	15.00	45.00	50.00	150.00	20.00	60.00	60.00	120.00	225.00	338.00
2	एक व्यक्ति (डबल बेड कमरा)	20.00	60.00	70.00	210.00	30.00	90.00	60.00	120.00	300.00	450.00
3	दो व्यक्ति (डबल बेड कमरा)	30.00	90.00	100.00	300.00	50.00	150.00	120.00	240.00	350.00	525.00
4	अतिरिक्त बेड	10.00	30.00	20.00	60.00	15.00	45.00	20.00	40.00	60.00	90.00
(घ) डाक बंगले अन्य सभी स्थानों पर (प.सि.डी.)											
1	एक व्यक्ति (सिंगल बेड कमरा)	10.00	30.00	40.00	120.00	15.00	45.00	40.00	80.00	150.00	225.00
2	एक व्यक्ति (डबल बेड कमरा)	10.00	30.00	40.00	120.00	15.00	45.00	40.00	80.00	175.00	263.00
3	दो व्यक्ति (डबल बेड कमरा)	20.00	60.00	80.00	240.00	30.00	90.00	80.00	160.00	300.00	450.00
4	अतिरिक्त बेड	10.00	30.00	15.00	45.00	15.00	45.00	15.00	30.00	50.00	75.00

निम्न सुविधाओं के उपयोग पर अतिरिक्त मुक्त देना होगा

क. सं.	सुविधा	राजकीय				प्राइवेट			
		सिंगल बेंड		डबल बेंड		सिंगल बेंड		डबल बेंड	
		वर्तमान दरें	नई दरें	वर्तमान दरें	नई दरें	वर्तमान दरें	नई दरें	वर्तमान दरें	नई दरें
1.	एयर कंडीशनिंग	30.00	90.00	50.00	150.00	75.00	225.00	100.00	300.00
2.	गीजर	10.00	30.00	20.00	60.00	30.00	90.00	40.00	120.00
3.	कूलर	10.00	30.00	20.00	60.00	30.00	90.00	40.00	120.00
4.	हीटर	30.00	90.00	50.00	150.00	75.00	225.00	100.00	300.00
5.	गर्म पानी बाल्टी	5.00	15.00	5.00	15.00	10.00	30.00	10.00	30.00

नोट :-

1. उपरोक्त किराया 24 घंटे की अवधि या उससे किसी भाग के लिये है।
2. चार्टरिंग/चनारोह के लिये ओपन लॉन दरें 3600/- प्रतिदिन एवं ड्राइनिंग हॉल का किराया रुपये 3600/- प्रतिदिन की दर से लिये जायेंगे।
3. जिनके लिये कोई दर निर्धारित नहीं की गई है उनके लिये प्राइवेट व्यक्तियों के लिये निर्धारित दरें (कॉलम-7) लागू होंगी।
4. राज्य कार्य से जाने बाबत अधिकृत व्यक्तियों के चार घन्टे से कम अवधि तक ठहरने पर आवास का किराया नहीं लिया जावेगा। जब तक कि राज्य सरकार द्वारा छूट नहीं दी जावे।
5. स्थानान्तरण पर 30 दिवस की अवधि से अधिक ठहरने पर निम्नानुसार चार्ज वसूल किये जायेंगे :-
 (क) प्रथम तीन माह की अवधि के लिये कमरे का किराया मूल वेतन का 10 प्रतिशत प्रतिमाह।
 (ख) तीन माह के पश्चात् कमरे का किराया मूल वेतन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह।
 (ग) स्थानान्तरण पर एक माह की अवधि चाहे वह निरन्तर आवास हो या बीच-बीच में रुक-रुक कर हो सभी लम्बोका अवधि लागू होंगी।
 (घ) मूल वेतन के साहस्य में कार्यलय अध्यक्ष का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारी स्वयं प्रस्तुत करेंगे।
7. उपरोक्त कॉलम संख्या 1 से 7 में ग्रुप का जो उल्लेख किया गया है उसका आशय परिशिष्ट-बी में वर्णित ग्रुप 2 है।